दिनांक 19 फरवरी, 2020 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

---

1. **उपस्थितिः–संलग्न।**

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति के कारण की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य नहीं कराने एवं बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा वैध कारण नहीं रहने पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना

2. अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित 8वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराने वाले प्रमंडल/जिलों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा शेष को निर्धारित समय से अनुपालन करने हेतु सख्त निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

3. सभी नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी पदस्थापित प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी/अवर सांख्यिकी पदाधिकारी (अन्वेषक) का वर्तमान पदस्थापन स्थान के साथ आरक्षणवार/कोटिवार की अद्यतन स्थिति निदेशालय को लभ्य कराया जाय, ताकि आरक्षण रोस्टरवार रिक्ति की सूचना सरकार के माध्यम से आयोग को प्रेषित किया जा सके।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय स्थापना

5. **<u>बजट</u> :–**

(i) मासिक व्यय विवरणी की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा दिसम्बर, 2019 का मासिक व्यय विवरणी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हुए भविष्य में सभी प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(ii) सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्षों के अन्तर्गत आवंटित राशि की समीक्षा कर वित्तीय वर्ष के अंत तक संभावित बचत का प्रत्यर्पण एवं अतिरिक्त राशि की अधियाचना तीन दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि किसी कार्यालय की बचत की राशि वापस लेकर दूसरे कार्यालय को आवंटित किया जा सके।

CSO शीर्ष के अन्तर्गत यात्रा व्यय मद में पुनर्विनियोग द्वारा राशि प्राप्ति की कार्रवाई पूर्ण होते ही अधियाचना के अनुसार राशि आवंटित करने की सूचना दी गई।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(iii) समीक्षा के क्रम में योजना मद से आवंटित सांख्यिकी दिवस समारोह, कृषि सांख्यिकी, जीवनांक, लघु सिंचाई गणना से संबंधित प्रशिक्षण एवं आंगनवाड़ी सेविका के मानदेय का भुगतान तथा पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग हेतु आवंटित राशि का शत्–प्रतिशत व्यय दिनांक–29.02.2020 तक करने तथा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र संबंधित शाखा के प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– संबंधित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv) रोकड़पंजी एवं कार्यालय के बैंक खाता में संधारित राशि से संबंधित BRS प्रतिवेदन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि कई कार्यालयों के बैंक खातों में रोकड़पंजी के अन्तःशेष से अधिक राशि संचित है। संबंधित कार्यालयों को स्पष्ट निदेशित किया गया कि अंतःशेष राशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार समायोजित कर ली जाय। समायोजन नहीं होने की स्थिति में शेष राशि संबंधित जमा शीर्ष में जमा कर दी जाय एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन निदेशालय को अविलम्ब प्रतिवेदित किया जाय।

अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

6. **<u>वर्षापात</u>:–**

(i) वर्षापात के आंकड़ों को प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न तक Web-Portal पर निश्चित रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेशित किया गया कि वर्षापात के 'शून्य' आंकड़ें प्राप्त होने पर भी प्रतिदिन अपलोड किया जाय।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(ii) ARG अधिष्ठापन के लिए चयनित स्थल हेतु जमीन मालिक से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी संपर्क स्थापित कर नियमानुसार एकरारनामा करते हुए प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(iii) AWS अधिष्ठापन हेतु जिलों से प्राप्त स्थलों में से 139 स्थलों को मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण संबंधित जिलों को पुनः सत्यापन अथवा नये स्थल के चयन हेतु वापस की गई है। संबंधित जिलों को स्थल चयन हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप इनकी जाँच कर तत्संबंधी प्रतिवेदन चेक लिस्ट की सभी प्रविष्टियों को अंकित करते हुए एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। परन्तु उक्त प्रतिवेदन जिला सांख्यिकी कार्यालय बेगुसराय से प्राप्त नहीं होने पर निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अन्दर उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

अनुपालनः— संबंधित जिला सां०पदा०

7. <u>रान्यासः</u>—

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अगले सत्र हेतु प्रपत्र ले जाने का निदेश दिया गया एवं सभी से MPR प्राप्त हो जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

8. लघु सिंचाई गणनाः—

(i) छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017—18 एवं जल निकाय गणना का क्षेत्रीय गणना कार्य के उपरांत डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन का अनुश्रवण करने हेतु सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया। लघु सिंचाई गणना का मासिक प्रगति प्रतिवेदन अभी तक 5 जिलों से प्राप्त नहीं होने पर क्षोभ प्रकट करते हुए सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मुख्यालय वापस जाते ही लंबित MPR प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०एवं लघु सिंचाई गणना प्रशाखा, मुख्यालय

(ii) लघु सिंचाई गणना का डाटा इन्ट्री करने वाले Vendor का नाम एवं मोबाईल नं० मुख्यालय में संधारित करते हुए इसे जिला को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— लघु सिंचाई गणना प्रशाखा

(iii) पंचम लघु सिंचाई गण्ना के बकाये राशि (मानदेय आदि) का भुगतान करने हेतु पिछले वित्तीय वर्ष में भी राशि आवंटित की गई थी एवं पुनः इस वित्तीय वर्ष में भी इस मद में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भोजपुर, रोहतास, कैमूर, नवादा, बेगुसराय सारण एवं गोपालगंज को राशि आवंटित की गई है। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आपके अधियाचना पर आवंटित राशि की निकासी/व्यय करना सुनिश्चित करें अन्यथा इसके बाद पुनः राशि आवंटित नहीं की जाएगी।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०

(iv) छठी लघु सिंचाई गणना एवं जल निकाय गणना की समीक्षा की गई एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सर्वेक्षण तथा डाटा इन्ट्री कार्य का लगातार अनुश्रवण करते रहें ताकि इससे संबंधित सही आंकड़ें प्राप्त हो सके।

सभी को यह भी निदेश दिया गया कि जल निकाय गणना के अन्तर्गत ग्रामवार/वार्डवार जल निकायों की सूची आदि निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०

(v) आर्थिक गणना कार्य के निरीक्षण से संबंधित SL-II में काफी कम डाटा Approve हुआ है। सभी को निदेशित किया गया कि Auto में न जाकर Manual Approve कर गाँव को Select करते हुए Data की जाँच कर Approve करें तथा किसी भी समस्या के समाधान हेतु संबंधित से सम्पर्क करें।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०

9. साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी :—

(i) लगातार समीक्षा के बावजूद स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016—17 एवं 2017—18 का लेखा विवरणी (आय एवं व्यय) विहित प्रपत्र में प्राप्ति की स्थिति अत्यंत दयनीय रहने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रथम चरण में सभी शहरी निकायों एवं प्रखण्डवार कम से कम एक ग्रामीण निकाय का लेखा विवरणी अगले सप्ताह तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में यह भी सूचना दी गई कि यथाशीघ्र स्थानीय निकायों के लेखा संधारण कार्य में संलग्न पदाधिकारी/कर्मी का राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करने की कार्रवाई की जा रही है।

अनुपालनः— सभी उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

(ii) आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। सभी को निदेशित किया गया कि त्रैमासान्त दिसम्बर 2019 तक का लंबित प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर NBO के Software पर Upload करते हुए इसकी Hard Copy निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी संबंधित आहरण एवं पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि राजीव आवास योजना शीर्ष में आवंटित राशि एक पक्ष के अन्दर व्यय करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा०

(iii) सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, कारा सांख्यिकी, पशुवधशाला एवं पशुओं की महामारी, चिकित्सा एवं संचारी रोग से संबंधित लंबित प्रतिवेदनों को अद्यतन कर एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य करायी जाय। साथ ही निदेश दिया गया कि कारा सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदन नये प्रपत्र में ही प्रेषित किया जाय जिसे शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुपालनः संबंधित जिला सां०पदा०

10. कृषिः–

कृषि वर्ष 2019–20 के मकई एवं अगहनी धान के संपादित शत्–प्रतिशत फसल कटनी प्रयोगों को CCE App पर तीन दिनों के अन्दर अपलोड कर इसकी हार्डकापी दिनांक–25.02.2020 तक निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिन जिलों में शत्–प्रतिशत अपलोडिंग का कार्य निर्धारित समय के अन्दर नहीं किया जायेगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

11. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी अधिकांश जिलों से यह प्रतिवेदन प्राप्त नहीं कराया जाता है जो खेद का विषय है। सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे स्वयं अथवा अपने कार्यालयों में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/अवर सांख्यिकी पदाधिकारी को इस कार्य में विशेष रूप से जवाबदेही देकर नियमित रूप से चयनित केन्द्र का प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए निदेशालय भेजना सुनिश्चित करें।

इस कार्य के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में विशेष रूप से समीक्षा करवाकर जिला स्तरीय संबंधित विभागीय पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर हर हाल में प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

12. कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदनः–

कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन अधिकांश केन्द्रों से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय। मूल्य संग्रहण दिवस शुक्रवार के अगले कार्य दिवस को मूल्य प्रशाखा के ईमेल (des.si.pricestat@gmail.com) पर भेजते हुए प्रेषित प्रतिवेदन की हॉर्ड कॉपी निदेशालय को लभ्य करावें।

अनुपालनः सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

13. जीवनांकः

(i) **जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का मासिक प्रतिवेदनः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः सभी जिला सां०पदा०

(ii) **प्रतिवेदन प्रेषण का स्तरः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य करायें।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(iii) वर्ष 2020 में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व शत–प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि प्राप्त करने हेतु वर्ष के प्रारम्भ से हीं लक्ष्य के अनुरुप प्रयास करने का निदेश दिया गया। सभी जिलों को निदेश दिया गया की प्रखण्डवार मासिक एवं वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर सभी प्रखण्डों को लभ्य करना सुनिश्चित करें। समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि अधिकांश जिलों के द्वारा रजिस्ट्रीकरण के मासिक लक्ष्य प्राप्ति करने का प्रयास किया जा रहा है एवं जिन जिलों के द्वारा अभी से मासिक लक्ष्य के विरूद्व रजिस्ट्रीकरण लक्ष्य से पीछे है उन्हें अगले माह के लक्ष्य में पिछली माह की कम उपलब्धि को जोड़कर इसकी भरपाई करने का निदेश दिया गया।

मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण की समीक्षा में स्पष्ट किया गया कि इस वर्ष जन्म की तरह मृत्यु की शत्–प्रतिशत घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(iv) निदेशालय द्वारा लभ्य कराये गये रोस्टर के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में **''विशेष निरीक्षण अभियान''** संचालित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि किसी भी स्तर से जन्म और मृत्यु की घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में अन्तर की स्थिति उत्पन्न न हो सके साथ ही शत् प्रतिशत घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करें।

अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०

(v) MCCD त्रैमासिक प्रतिवेदनः– MCCD से संबंधित तृतीय त्रैमासिक प्रतिवेदन सभी जिलों से प्राप्त है एवं चतुर्थ त्रैमासिक प्रतिवदेन 7 जिलों से अप्राप्त है। संबंधित जिलों को एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(vi) मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम :– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के साथ पूर्व माह में किये गये भ्रमण का निरीक्षण प्रतिवेदन भी लभ्य कराने का निदेश दिया गया। जिन जिलों से निरीक्षण प्रतिवेदन शून्य है उनसे स्पष्टीकरण की मांग करें।

अनुपालनः–सभी जिला सां०पदा०/सभी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी

(vii) वित्तीय वर्ष 2019–20 में समग्र सांख्यिकी विकास योजना अन्तर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण मद में आवंटित राशि से प्रशिक्षण कराकर एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(viii) वित्तीय वर्ष 2019–20 में समग्र सांख्यिकी विकास योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी सेविका–सह–उप रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के मानदेय भुगतान हेतुं आवंटित राशि का उपयोग कर एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भेजने का निदेश दिया गया। जिन जिलों के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका के मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं उनके द्वारा अगले वर्ष इस बकाये की मांग करने पर उनके वेतन से कटौती कर मानदेय भुगतान की जायेगी।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

(ix) वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रखण्ड स्तर पर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य में संलग्न कर्मियों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराने की सूचना सिर्फ जहानाबाद से प्राप्त है। सभी जिलों को 15 दिनों के अन्दर प्रशिक्षण सम्पन्न कराकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

अनुपालनः–संबंधित जिला सां०पदा०/जीवनांक प्रशाखा मुख्यालय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

12/03/2020
निदेशक

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01/2019/353/पटना, दिनांकः– 13-03-2020

प्रतिलिपिः–
1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2/सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

12/03
निदेशक

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01/2019 353 /पटना, दिनांकः– 13/03/2020

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/03
निदेशक